पूर्व मध्य रेल

परिचालन संरक्षा चेतावनी सं . 01/2023

Operating Safety Alert No.01/2023

विषय:- **सोनपुर मंडल के हाजीपुर स्टेशन पर ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान ब्लॉक लाइन में गाड़ी का रिसीव किया जाना**

दिनांक16/2/2023 को हाजीपुर स्टेशन के लाइन नंबर 3 (कि. मी 267/10-16)पर वेल्डिंग कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक 13.10 बजे से 14.40 बजे तक दिया गया था, जिसकी अवधि विस्तार कर 16:10 बजे तक कर दिया गया था।हाजीपुर स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर ने ब्लॉक निरस्तीकरण को सुनिश्चित किए बिना डाउन मालगाड़ी सं बीएमआईएस/3124 को ब्लॉक लाइन पर लेने की योजना बनाई और इसके लिए डाउन होम सिगनल ऑफ कर दिया गया। डाउन मालगाड़ी सं बीएमआईएस/ 3124 के लोको पायलट ने होम सिगनल को पार करने के बाद देखा की लाइन पर बैनर फलैग लगा हुआ है और तत्काल आपात ब्रेक लगा कर गाड़ी को रोक लिया गया।

घटना का प्रथम दृष्टया कारण- इंचार्ज स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन को ब्लॉक किए जाने की सूचना को लाल स्याही से दर्ज नहीं किया जाना, पैनल ऑपरेटर को ब्लॉक की जानकारी नहीं दिया जाना, सेफ्टी कॉलर/ स्टॉप प्लग/ रूट को VDU में लॉक नहीं किया जाना और ब्लॉक निरस्त किए जाने के पूर्व ही मालगाड़ी को लेने के लिए होम सिग्नल को ऑफ किया जाना ।

घटना के उपरांत मण्डल द्वारा त्वरित कारवाही करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए

(i) सुनिश्चित करें कि सभी स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में स्टॉप प्लग, सेफ्टी कॉलर,इत्यादि उपलब्ध है और इनका प्रयोग सही ढंग से किया जा रहा हैं ।

(ii) ब्लॉक देने एवं कैंसिल करने के लिए सेक्शन कंट्रोलर से आदान प्रदान किए गए प्राइवेट नंबर को समर्पित रूप में अभिलिखित किया जा रहा है।

(iii) ब्लॉक के संबंध में स्टेशन डायरी और टीएसआर में विनिर्दिष्ट स्थान पर लाल स्याही से इंदराज कियाजारहा है।

(iv) सुनिश्चित करें की ब्लॉक निर्धारित फार्म मे ही स्वीकृत और निरस्त किए जायें ।

(v) ब्लॉक देने के पूर्व सभी संबंधित व्यक्तियों जैसे कि पैनल ऑपरेटर/अन्य केबिन/कंट्रोल/अन्य को समुचित रूप से सूचित किया जा चुका है ।

(vi) जब ब्लॉक निरस्त किया जा रहा है तो यह सुनिश्चित करें कि संरक्षित गाड़ी चलाने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है और सभी संबंधित व्यक्तियों को इसकी जानकारी दे दी गई है।

समस्त मंडलों को निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त लापरवाही की पुनरावृति को रोकने के लिए परिचालन संरक्षा से संबंधित समस्त कर्मचारियों को इसे बताया जाए और उनके द्वारा नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

21.02.23

(बी के दास)

मुख्य परिचालन प्रबंधक /सा

पूर्व मध्य रेल

सं0.ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73 /505, **दिनांक 21.02.23**

प्रतिलिपि:

1. **सचिव, महाप्रबंधक /पूमरे, हाजीपुर - महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु ।**
2. **प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/ पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।**
3. **मण्डल रेल प्रबंधक -धनबाद,दानापुर, डी डी यू ,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।**
4. **वरि.म.परि.प्रबंधक-धनबाद,दानापुर,डी.डी.यू,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।**